संख्या- 1548/43-2-2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः: दिनांकः: 29 सितम्बर, 2010

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की सूची का प्रकाशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से निर्गत परिपत्र संख्या-186/43-2-2010 दिनांक 05 फरवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त परिपत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(एच) में विहित व्यवस्था का उल्लेख करते हुए यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2(एच) में दी गयी लोक प्राधिकारी की परिभाषा के परिपेक्ष्य में नागरिकों द्वारा सूचना मांगने पर विभिन्न संगठन यह तर्क प्रस्तुत करते है कि वे राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं है। अतः वे उक्त परिभाषा के अन्तर्गत अधिनियम की परिधि मे नहीं आते हैं। इस भ्रान्ति के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन करें, जिससे इसकी जानकारी आम नागरिकों को हो सके।

3- उक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य में अभी तक किसी भी विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों की सूची के प्रकाशन की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की सूची का शीघ्र सार्वजनिक प्रकाशन करते हुए इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उ0प्र0, राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।